38

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक : तीन–निगरानी/रीवा/भू0रा0/2017/2643 – विरूद्व आदेश दिनांक 25–7–2017 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण कमांक 671/2014–15 अपील

श्रीनिवास पाण्डेय पुत्र इन्द्रपतिराम
ग्राम सहेवा तहसील मनगवॉ जिला रीवा ––––आवेदक

विरूद्व

1– श्रीमती सरस्वती पत्नि बाल्मीक प्रसाद
पुत्री सुरेन्द्रमणि मिश्र
2– विवके कुमार 3– विकास कुमार
4– विनयकुमार पुत्रगण सुरेन्द्रमणि मिश्र
5– अवधेशकुमार 6– दिनेश प्रसाद
7– रमेश प्रसाद 8– महेश प्रसाद
चारों पुत्रगण चन्द्रिका प्रसाद
9– मायादेवी पत्नि स्व.रामप्रकाश
10–वरूणकुमार पुत्र स्व.रामप्रकाश
11–सीताप्रसाद मृतक पुत्र वल्देवप्रसाद वारिस
अ– सुरेश प्रसाद ब– राजेश प्रसाद स– वृजेशप्रसाद
12–श्रीमती प्रेमवती पत्नि स्व. त्रिवेणीप्रसाद
13– श्रीमती विशिष्टमुनी पत्नि बद्रीप्रसाद
14– श्रीमती राजमणि
15–नवीन पुत्र राजमणि
16– चिंतामणि पुत्र बद्रीप्रसाद
17–बैजनाथ मृतक पुत्र रामविशाल वारिस
अ–गिरजेश ब– सुभाष स– वृजेश पुत्रगण स्व.बैजनाथ पांडेय
18– अनुसूईया पत्नि स्व. बलयराज
19– मुकेश 20– घनश्याम 21– हीरालाल 22– संतोष
23– कमलेश सभी पुत्रगण स्व. बलयराज

सभी ग्राम सेहवा तहसील मनगवां जिला रीवा ———अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री अरबिन्द पाण्डे )
(अनावेदक क्र–1 से 4 के अभिभाषक श्री सौरभ द्विवेदी)
(शेष अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय),

आ दे श

(आज दिनांक 9 – 07 –2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्र0क0 671 / 2014–15 अपील में पारित आदेश दिनांक 25–7–2017 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम सहेवा की आवेदक एंव अनावेदकगण की सामिलाती भूमि बताते हुये बटवारे के आवेदन प्रथक प्रथक तीन आवेदन आने पर तहसीलदार मनगवां ने तीन प्रकरण इस प्रकार कायम किये :–

1– प्र0क0 6 अ 27 / 1995–96

2– प्र0क0 8 अ 27 / 1995–96

3– प्र0क0 24 अ 27 / 10–11

तहसीलदार मनगवां ने तीनों प्रकरण में संयुक्त आदेश दिनांक 26–6–2013 पारित किया तथा तीनों बटवारा आवेदन निरस्त कर दिये। इस आदेश के विरूद्व आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी मनगवॉ के समक्ष अपील प्रस्तुत की । अनुविभागीय अधिकारी मनगवॉ ने प्रकरण कमांक 92 अ–27 / 2013–14 में पारित आदेश दिनॉक 30–4–2015 से अपील स्वीकार कर तहसीलदार मनगवां का आदेश दिनांक 26–6–13 निरस्त कर दिया तथा पटवारी व्दारा प्रस्तुत पुल्ली (फर्द) अनुसार बटवारा कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने

प्रकरण कमांक 671/2014–15 अपील में पारित आदेश दिनांक 25–7–2017 से अपील स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी मनगवॉ का आदेश दिनॉक 30–4–2015 निरस्त कर दिया। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई हैं।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उपस्थित पक्षकारों के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्को के कम में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन करने पर स्थिति यह है कि आवेदक व्दारा प्रस्तुत बटवारे का दावा तहसीलदार ने आदेश दिनांक 26–6–13 से इस आधार पर निरस्त किया है:–

> प्रकरण में प्रस्तुत खसरा B नकल एंव हलका पटवारी के प्रतिवेदन अनुसार तीनों बटनवारा प्रकरण की आ.नं. कमशः 787/2 रकबा 0.27 डि. के भूमिस्वामी मु. सरस्वती देवी वेवा बाल्मीकप्रसाद, विवेकप्रसाद पिता सुरेन्द्रमणि नावा वाली दारी सरस्वती देवी दर्ज अभिलेख है । इसी प्रकार अन्य प्रकरणों में आवेदित भूमि कमशः 433/1 रकबा 0.04, 709 रकबा 0.22 तथा 766/1क रकबा 0.26, 822/15 रकबा 1.68, 823/1 रकबा 0.84, 824/1 रकबा 0.96, 825/1 रकबा 0.11, 715/2 रकबा 0.05 में भूमिस्वामी अनावेदकगण प्रथक प्रथक दर्ज है । आवेदक श्रीनिवास व्दारा अन्य खातेदारों के नाम पर दर्ज भूमियों के बटनवारा का आवेदन पेश किया है। आवेदक आवेदित भूमियों में संयुक्त खातेदार के रूप में दर्ज भूमिस्वामी नहीं है।

तहसीलदार ने आदेश दिनांक 26–6–13 से आवेदक को अभिलेख में सहखातेदार अंकित न होने से तीनों बटवारा प्रकरण निरस्त किये है।

अनुविभागीय अधिकारी, मनगवां के आदेश दिनांक 30–4–2015 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि अनुविभागीय अधिकारी ने तहसीलदार के आदेश दिनांक 26–6–13 को निरस्त करते हुये पक्षकारों के बीच बटवारा इस आधार पर स्वीकार किया है :–

> प्रकरण में संलग्न हस्तलिखित खसरा की नकलों के खसरा कॉलम नंबर 12 में खसरा नंबर 824/1, 825/1क, 766/1, 823/1, 822/1 ख

आदि में अपीलार्थी का कब्जा भी दर्ज है। अनावेदक 5 लगायत 11 व्दारा अपनी सहमति भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है इससे स्पष्ट है कि अपीलाधीन भूमियॉ पैतृक थीं जिनमें अपीलार्थी का पैतृक हिस्सा है।

उक्तानुसार निष्कर्ष देते हुये अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 30–4–15 से अपील स्वीकार करते हुये एंव तहसीलदार के आदेश दिनांक 26–6–13 को निरस्त किया है एंव हलका पटवारी व्दारा प्रस्तुत बटवारा पुल्ली दिनांक 20–2–12 अनुसार वादित भूमियों का बटवारा किया है।

अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा के आदेश दिनांक 25–7–17 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 30–'4–15 को निरस्त करते अपील स्वीकार की है । आदेश का निष्कर्ष इस प्रकार है :–

तहसीलदार ने रिस्पा. श्रीनिवास को सिविल न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर स्थगन प्राप्त करने का पर्याप्त अवसर दिया था लेकिन रिस्वा0 के व्दारा सिविल न्यायालय में किसी प्रकार का आदेश प्राप्त न करने के कारण रिस्पा0 का आवेदन खारिज किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी ने बटवारा पुल्ली दिनांक 20–7–12 के आधार पर नामान्तरण बटवारा का आदेश पारित किया है लेकिन बटवारा पुल्ली में अपीलांट ने हस्ताक्षर नहीं किया है । अपीलांट के पिता स्व0 हनुमान प्रसाद के नाम से राजस्व अभिलेखों में भूमि दर्ज थी। इसलिये हनुमानप्रसाद की भूमि को रिस्पा0 बटवारा नामांतरण कराने का अधिकार नहीं है। स्पष्ट है कि अपीलांट व रेस्पा0 के मध्य वादग्रस्त भूमि के स्वत्व का विवाद है। स्वत्व का निर्धारण राजस्व न्यायालय व्दारा नहीं किया जा सकता है। अनुविभागीय अधिकारी तथा विचारण न्यायालय में अपीलार्थी व्दारा कहा गया कि विवादित भूमियों पर उत्तरवादियों का कोई स्वत्व नहीं है। रिस्पा0सहखातेदार नहीं है। अभिलिखित भूमिस्वामी का नाम विलोपित कर अन्य व्यक्ति का नाम बिना किसी बैध अंतरण प्रकिया के राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं किया जा सकता।

इस प्रकार का निष्कर्ष देते हुये अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने आदेश दिनांक 25–7–17 से अनुविभागीय अधिकारी मनगवां के आदेश दिनॉक 30–4–15 को निरस्त कर अपील स्वीकार की है।

तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के प्रकरणों मे आये तथ्यों पर विचार करने से

स्थिति यह है कि जब आवेदक का नाम वादग्रस्त भूमियों के शासकीय अभिलेख में सहखातेदार के रूप में दर्ज नहीं है तब वह वादग्रस्त भूमियों का बटवारा कराने हेतु वह अपात्र है। अनुविभागीय अधिकारी मनगवां ने आदेश दिनांक 30—4—15 में यह स्वीकार किया है कि प्रकरण में संलग्न हस्तलिखित खसरा की नकलों के खसरा कॉलम नंबर 12 में खसरा नंबर 824 / 1, 825 / 1क, 766 / 1, 823 / 1, 822 / 1 ख आदि में अपीलार्थी का कब्जा भी दर्ज है तब क्या कब्जे के आधार पर रिकार्डेड भूमिस्वामी की भूमि का बटवारा कब्जेदार कराने हेतु पात्र है — संहिता की धारा 178 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कब्जेदार बटवारा करा सकता है। इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी का निष्कर्ष अनुचित आधारों पर अधारित है क्योंकि पटवारी व्दारा तैयार पुल्ली से पक्षकार सहमत नहीं रहे हैं। अपर आयुक्त रीवा संभाग का यह निष्कर्ष सही प्रतीत होता है कि रिस्पा0सहखातेदार नहीं है। अभिलिखित भूमिस्वामी का नाम विलोपित कर अन्य व्यक्ति का नाम बिना किसी बैध अंतरण प्रक्रिया के राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं किया जा सकता। यदि आवेदक वादग्रस्त भूमियों में स्वयं का स्वत्व चाहता है निश्चित् है स्वत्व घोषणा हेतु आवेदक को व्यवहार न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करना होगा।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण क्रमांक 671 / 2014—15 अपील में पारित आदेश दिनांक 25—7—2017 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर